

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

एफ-4-7-17-26-2.—माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) राज्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

- | | |
|--|----------------|
| (क) मुख्यमंत्री | पदेन अध्यक्ष |
| (ख) प्रभारी मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग. | पदेन उपाध्यक्ष |
| (ग) प्रभारी राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग. | पदेन उपाध्यक्ष |
| (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वरिष्ठ नागरिक, जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों में उत्कृष्ट ख्याति एवं प्रतिष्ठा के साथ एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखता हो. | उपाध्यक्ष |
| (ङ) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गृह तथा वित्त विभाग प्रत्येक से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-एक सदस्य. | सदस्य |
| (च) आयुक्त, जनसंपर्क | सदस्य |

- | | |
|--|--------------|
| (छ) आयुक्त/संचालक, पेंशन तथा बीमा | सदस्य |
| (ज) चार सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला सदस्य तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो. | सदस्य |
| (झ) पेंशनभोगी संगठन के दो प्रतिनिधि | सदस्य |
| (त्र) आयुक्त/संचालक, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण संचालनालय. | सदस्य-सचिव." |

F. No. 4-7-17-26-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (No. 56 of 2007), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 21, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The State Council shall consist of the following members, namely:—

- | | |
|---|--------------------------|
| (a) Chief Minister | Ex-officio Chairman |
| (b) Minister in charge of Social Justice and Disable Welfare Department, Government of Madhya Pradesh. | Ex-officio Vice-Chairman |
| (c) State Minister in charge of Social Justice and Disable Welfare Department, Government of Madhya Pradesh. | Ex-officio Vice-Chairman |
| (d) A senior citizen nominated by the State Government who has excellent reputation and prestige with vast experience of senior Citizens related matters and in the field of Public Administration. | Vice-Chairman |
| (e) One member each from the Government Department such as Health, Medical Education, Ayush, Home and Department of Finance, nominated by the State Government. | Member |
| (f) Commissioner, Public Relation | Member |
| (g) Commissioner/Director, Pension and Insurance | Member |
| (h) Four social worker out of which one female member and one member from Scheduled Castes/Scheduled Tribes working for welfare of Senior Citizens. | Member |
| (i) Two representatives of Pensioners Association | Member |
| (j) Commissioner/Director, Social Justice and Disable Welfare Directorate, Government of Madhya Pradesh. | Member-Secretary." |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, अपर सचिव.